पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 03 | अंक : 1 | फरवरी 2023 | परस्पर संपर्क हेतु

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी और वीपीआरपी का जीपीडीपी में एकीकरण

डॉ. संजय राजपूत, संकाय सदस्य, महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान -आधारताल, जबलपुर, म.प्र. द्वारा

पंचायतें- राष्ट्रीय व प्रादेशिक आंकडे.

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2,78,746 पंचायतराज संस्थाएं हैं। जिनमें 2,55,303 ग्राम पंचायतें, 6683 जनपद पंचायतें और 663 जिला पंचायतें शामिल हैं। इन तीनों स्तर की पंचायतों में लगभग 31.47 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिनमें लगभग 14.54 लाख महिला प्रतिनिधि हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में 23012 ग्राम पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें एवं 52 जिला पंचायतें हैं। प्रदेश में 875 जिला पंचायत के सदस्य, 6771 जनपद पंचायत के सदस्य, 23012 सरपंच एवं 363726 पंच हैं।

भविष्य की सोच-ग्रामीण परिवर्तन का आधार

ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये सबसे मूल की ईकाई के रूप में ग्राम पंचायतें अपना दायित्व निभा रही हैं। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय सौंपे गये हैं। केन्द्र शासन के लगभग 18 विभागों द्वारा इन विषयों की गतिविधियों को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) द्वारा अधिसूचित 29 विषयों को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 53 में पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियां की उपधारा-1 में राज्य सरकार द्वारा अनुसूची 4 में शामिल किया गया है। इन विषयों से संबंधित विभिन्न विभाग अपनी-अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।

आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु पंचायतों की भूमिका निर्धारित की गई है। पंचायतों से स्वास्थ्य, आर्थिक, शिक्षा, पोषण और कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के सुचारू संचालन में अपनी भागीदारी निभाई जाने की अपेक्षा है।

केन्द्र वित्त आयोग से अब सीधे पंचायतों को अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। जिसका उपयोग पंचायतों द्वारा योजना अनुसार उपयुक्त तरीके से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से एक पंचायत, एक योजना की अवधारणा लागू की गई है। जिसका उद्देश्य समावेशी विकास और विकास के लिए समुदाय संचालित विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रियाओं को मजबूत करना है।

ग्यारवीं अनुसूची अनुसार पंचायतों को सौंपे गये 29 विषय

संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों को 29 विषय सौंपे गये हैं। जो इस प्रकार हैंः- (1) कृषि प्रसार सहित कृषि (2) भू-सुधार एवं मृदा सरंक्षण (3) लघु सिंचाई, जल प्रबंध एवं जनसंभर विकास (4) पशुपालन, दुग्धशाला एवं मुर्गीपालन (5) मत्स्यपालन (6) सामाजिक वानिकी एवं फार्मवानिकी (7) लघु वन उत्पाद (7) खाद्य संसाधन उपयोगी सहित लधु उद्योग (8) खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग (9) ग्रामीण आवास (10) पेयजल (11) ईंधन (12) सड़कें, पुलिया, सेतु, घाट, जलमार्ग एवं संचार के अन्य साधन (13) विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण (14) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोत (15) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (16) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों सहित शिक्षा (17) तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा (18) प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा (19) पुस्तकालय (20) बाजार एवं मेले (21) सांस्कृतिक क्रियाकलाप (22) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उपचार केन्द्रों सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (24) परिवार कल्याण (25) महिला एवं बाल विकास (26) सामाजिक कल्याण (27) कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषकर अनुसूचित जाति कल्याण (28) जल वितरण व्यवस्था (29) सामुदायिक सम्पत्ति का अनुरक्षण

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

वर्ष 2015 में विश्व के 193 देशों द्वारा सतत् विकास के लक्ष्यों को अपनाया गया है। इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना है। गरीबी को उसके सभी रूपों में मिटाना और सतत विकास के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिये 230 वैश्विक संकेतकों के साथ 17 लक्ष्य और 169 टारगेट (306 राष्ट्रीय संकेतक) तय किये गये हैं।

सतत् विकास के 17 लक्ष्य इस प्रकार हैंः- लक्ष्य 1 शून्य गरीबी - गरीबी का हर रूप में हर जगह उन्मूलन, **लक्ष्य 2 शून्य भुखमरी** - शून्य भुखमरी, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् खेती को प्रोत्साहन, **लक्ष्य 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली** - उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और हर उम्र में सब की खुशहाली को प्रोत्साहन, **लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** - समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सबके लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहन, **लक्ष्य 5 लैंगिक समानता** - लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त करना, **लक्ष्य 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता** - सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना, **लक्ष्य 7 सस्ती और प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा** - सस्ती, विश्वसनीय, सतत् और आधुनिक ऊर्जा सुलभता सुनिश्चित करना, **लक्ष्य 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि** - निरंतर, समावेशी और सतत् आर्थिक वृद्धि, सबके लिए पूर्ण और उत्पादक

(शेष पेज 2 पर)

(पेज 1 का शेष)

रोजगार और उत्कृष्ट कार्य, **लक्ष्य 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं** - जानदार बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को प्रोत्साहन और नवाचार को संरक्षण, **लक्ष्य 10 असमानताओं में कमी** – देशों के भीतर और उनके बीच असमानताएं कम करना, **लक्ष्य 11 संवहनीय शहर और समुदाय** - शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित, जानदार और संवहनीय बनाना, **लक्ष्य 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन** – उपभोग और उत्पादन के संवहनीय स्वरूप सुनिश्चित करना, **लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई** – जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, **लक्ष्य 14 जलीय जीवों की सुरक्षा** - जलीय जीवों की सुरक्षा सतत् विकास के लिए महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और संवहनीय उपयोग, **लक्ष्य 15 थलीय जीवों की सुरक्षा** - थलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय पारिस्थतिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों का संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना तथा ठीक करना और जैव विविधता क्षति को रोकना, **लक्ष्य 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं** – सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाजों को प्रोत्साहन, सब के लिए न्याय सुलभ कराना और सभी स्तरों पर असरदार, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं की रचना करना, **लक्ष्य 17 लक्ष्य हेतु भागीदारी** – क्रियान्वयन के साधनों को सशक्त करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को नई शक्ति देना।

पंचायतों में एसडीजी का स्थानीयकरण

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत स्तर पर एसडीजी को स्थानीयकृत करने के लिए 17एसडीजी से कुल9 विषयों (थीम) की पहचान की गई जो इस प्रकार हैः- थीम 1 गरीबी मुक्त गांव, थीम 2 स्वस्थ गांव, थीम 3 बच्चों के अनुकूल गांव, थीम 4 जल पर्याप्त गांव, थीम 5 स्वच्छ और हरा-भरा गांव, थीम 6 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, थीम 7 सामाजिक रूप से सुरक्षित और सामाजिक रूप से न्यायसंगत गांव, थीम 8 सुशासन वाला गांव, थीम 9 महिला मित्रवत गांव।

जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया

- ग्राम पंचायत योजना फेसलीटेशन टीम का गठन करना
- वातावरण निर्माण करना
- **योजना के लिये प्रमुख क्षेत्र** - बाल सभा, महिला सभा, वार्ड सभा से इनपुट्स, एलएसडीजी के 9 विषयों पर आधारित
- **जानकारी संकलित करना** - मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण और अन्य स्त्रोतों से आंकड़े एकत्र करना
- **परिस्थिति विश्लेषण** - एसएचजी सदस्य भी प्रक्रिया में भाग लेंगे और एकत्रित आंकड़ों के आधार पर गरीब और कमजोर लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करेंगे।
- **विजनिंग एक्सरसाइज**– आने वालों सालों में पंचायत को कहां देखना चाहते हैं, स्वप्न तैयार करना।
- **स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना** - आवश्यकताओं की प्राथमिकता। वीपीआरपी (ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना) तैयार करने के लिए आजीविका की प्राथमिकता पर भी चर्चा की जरूरत है।
- रिसोर्स एनवलप

योजना अनुमोदन के लिये विशेष ग्रामसभा

- जागरूकता पैदा करना, वीपीआरपी का जीपीडीपी में एकीकरण।
- जीपीडीपी तैयार करना, जीपीडीपी की स्वीकृति एवं ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड करना ।

ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (वीपीआरपी)

- वीपीआरपी ग्राम स्तर पर एसएचजी, संघों द्वारा तैयार की गई एक व्यापक सामुदायिक मांग योजना है जिसे जीपीडीपी के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
- वीपीआरपी में एसएचजी परिवारों की मांगें और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की मांगें शामिल हैं।
- यह मिशन और योजना दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जिसके चारों ओर ग्राम पंचायत और एसएचजी नेटवर्क लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

अवयवः वीपीआरपी

- पात्रता योजना (विभिन्न पेंशन, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, उज्जवला, मनरेगा, पीएमएवाई, एसबीएम इत्यादि)
- आजीविका योजना (हस्तक्षेप के प्रकार और आवश्यक सहायता)
- सार्वजनिक सामान और सेवाएं संसाधन विकास योजना (सड़कें, सुरक्षित पेयजल सुविधा, सिंचाई सुविधा, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल आदि)\
- सामाजिक विकास योजना (अभिसरण समर्थन के साथ सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए वीपीआरपी योजना तैयार करना।

जीपीडीपी में एकीकरण

स्व-सहायता समूह स्तर, ग्राम संगठन स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर वीपीआरपी तैयार की जावेगी। जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जावेगा। ग्राम सभा में वीपीआरपी को जीपीडीपी में एकीकृत किया जावेगा।

जन योजना अभियान (पीपीसी)

- जन योजना अभियान जमीनी स्तर पर जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और सतर्कता के साथ जीपीडीपी की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है।
- इसे 2018में शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर से 31 जनवरी की अवधि के बीच हर साल ''सबकी योजना सबका विकास'' के रूप में लागू किया गया था।
- अभियान के दौरान, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण डेटा और अन्य डेटा स्त्रोतों का उपयोग करके साक्ष्य आधारित योजना हेतु अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यापक जीपीडीपी तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा आयोजित की गई।

जन योजना अभियान के उद्देश्य

प्रभावी ग्राम सभा में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 31 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और 8.38 करोड़ एसएचजी महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाना ।

- मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण में पहचानी गई कमियों के आधार पर प्रगति का साक्ष्य आधारित आकलन
- **जन सूचना अभियान** - ग्राम पंचायत कार्यालय में सभी कार्यक्रमों की योजनाओं, वित्त आदि पर पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण
- संकल्प के रूप में सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के विषयों को शामिल करना ।
- **योजना में अभिसरण** - मानव संसाधन, निधि, योजनाएं
- जिला एवं प्रखंड पंचायत स्तर पर नियोजन पर फोकस

जन योजना अभियान (पीपीसी) में चुनौतियां

- योजना प्रक्रिया और ग्राम सभा में स्वयं सहायता समूहों सहित समुदाय की अपर्याप्त भागीदारी
- साक्ष्य आधारित योजना का अभाव
- ढांचागत गतिविधियों पर अधिक जोर
- लाइन मंत्रालयों/विभागों से योजनाओं के अभिसरण का अभाव\
- विशेष ग्राम सभा में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों की भागीदारी का अभाव
- पंचायती राज संस्थाओं- स्वयं सहायता समूहों के अभिसरण के रूप में सामाजिक पूंजी के दोहन की विस्तारित गुंजाइश
- पंचायती राज संस्थाओं की बढ़ी हुई संस्थागत क्षमता और एसएचजी सदस्यों सहित चुने हुए पंचायत पदाधिकारियों और हितधारकों की क्षमतावृद्धि की आवश्यकता

हस्तक्षेप - पंचायती राज मंत्रालय

- **साक्ष्य आधारित योजना**–महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास का आकलन करने और उसे कम करने के लिए गैप रिपोर्ट का उपयोग करना। डेटा का उपयोग– सरल विश्लेषण के लिए पंचायत निर्णय समर्थन प्रणाली (पीडीएसएस), भुवन पंचायत और योजना और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जैसे डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं।
- **सतत विकास लक्ष्य**–एसडीजी इस वर्ष के लिए समग्र योजना लक्ष्य तैयार करेगा। स्थानीयकृत 9विषयों पर विशेष जोर दिया जावेगा। योजना के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कम से कम एक और अधिक से अधिक तीन संकल्प जोड़ना अनिवार्य है।
- **स्वयं सहायता समूह और समुदाय लामबंदी**-वीपीआरपी पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जानी चाहिए। एसएचजी सामाजिक विकास में सुधार करने में मदद करते हैं। ग्रामसभाओं को जीवंत बनाने का प्रयास होगा।
- **समग्र योजना**–मंत्रालयों के प्रमुख कार्यक्रमों के संसाधन लिफाफा डेटा का पोर्टिंग परिचय ई-ग्राम स्वराज। महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रायोजित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को परिवर्तित करने के लिए नई रणनीतियाँ बनाना। संबंधित मंत्रालयों को संयुक्त सलाह।

ग्राम पंचायत और स्व-सहायता समूह

- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने और लागू करने के लिए पंचायतों को संवैधानिक रूप से एवं स्थानीय रूप से अनिवार्य किया गया है।
- एसएचजी, गरीबों की संस्थाओं के रूप में, गांवों के समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य रखते हैं।
- आपसी सम्मान, शक्ति और विश्वास के आधार पर दोनों के बीच घनिष्ठ साझेदारी स्थानीय स्तर पर विकास के परिणाम में सुधार ला सकती है ।
- बेहतर पीआरआई-एसएचजी अभिसरण उत्तरदायी और जवाबदेह शासन के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा।
- एसएचजी आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए भागीदारी योजना और कार्यान्वयन और गतिविधियों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पीआरआई एसएचजी अभिसरण की चुनौतियां

- ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों की संस्थाओं के बीच भागीदारी और अभिसरण का अभाव
- ग्राम सभा में सदस्यों की उपस्थिति का अभाव
- ग्राम सभा में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की उपस्थिति का अभाव

कुछ राज्यों को छोड़कर, विशेष ग्राम सभा में पीएलएफ की भागीदारी और वीपीआरपी पर चर्चा का प्रतिशत काफी कम है

- ग्राम पंचायत प्लान फेसलीटेशन टीम और योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में स्व-सहायता समूह सदस्यों की भागीदारी का अभाव
- पीआरआई-एसएचजी अभिसरण के मुद्दों पर एसएचजी और पीआरआई प्रतिनिधियों की अपर्याप्त क्षमता

आगे बढ़ने का रास्ता

- पीआरआई-एसएचजी अभिसरण के मुद्दों पर एसएचजी सदस्यों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- स्थानीय स्तर पर पीआरआई-एसएचजी अभिसरण के मुद्दों पर इंटरैक्टिव मॉड्यूल, सामग्री का विकास और व्यापक प्रसार
- जीपीडीपी की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान महिला सभा, सामुदायिक स्तर की बैठकों, जीपीपीएफटी में भागीदारी, पर्यावरण निर्माण, सामुदायिक लामबंदी और प्रवेश स्तर की गतिविधियों, निगरानी आदि में एसएचजी सदस्यों की आउटरीच और भागीदारी
- स्थानीय स्तर पर पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों के बेहतर समन्वय के लिए संस्थागत व्यवस्था - संयुक्त परामर्श जारी, ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर परामर्श
- ग्राम स्तर पर जीपीडीपी की योजना, निगरानी और कार्यान्वयन में एसएचजी सदस्यों की बेहतर भागीदारी के लिए संबंधित मंत्रालयों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ संवेदीकरण और अभिसरण

जानकारी

म.प्र. ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) नियम, 2022

विनोद चौधरी द्वारा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. द्वारा 17 फरवरी 2023 को राजपत्र में ''म.प्र. ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) नियम, 2022'' का प्रकाशन किया गया है। इस नियम के लागू होने पर अब ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी मकान, झोपड़ी, शेड, दीवार, बरामदा, स्थाई चबूतरा, दरवाजे की सीढ़ियां आदि के निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लेना और निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायतों के लिए यह नियम एक अच्छा आय का स्त्रोत साबित हो सकता है। तो आइये इस नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं -

- कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत की लिखित मंजूरी प्राप्त किए बिना किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा। लेकिन मिट्टी की दीवार या मिट्टी के गारे तथा स्थानीय सामग्री से आवास हेतु निर्मित किए जाने वाले 125 वर्ग मीटर से कम के निर्मित क्षेत्र वाले मकान की दशा में भवन अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण कराए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु ग्राम पंचायत, निर्धारित फीस के साथ आवेदन प्राप्ति के पश्चात, 30 दिवस के भीतर, इसके निर्णय की सूचना देने में ग्राम पंचायत असफल रहती है, तो भूमि की ऐसी श्रेणी पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अनुमति दे दी गई समझी जाएगी।
- किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण करने वाले व्यक्ति काम शुरू करने से पहले ग्राम पंचायत को लिखित में आवेदन करना होगा और मूल योजना के साथ स्थल योजना, भवन योजना, सर्विस प्लान, विशेष विवरण, पर्यवेक्षण का प्रमाण पत्र तथा स्वामित्व या स्थल के संबंध में किसी वैधानिक अधिकार का प्रमाण पत्र चार प्रतियों में प्रस्तुत करेगा।
- कोई भी आवेदन तब तक विधिमान्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि आवेदक ने ग्राम पंचायत को निर्धारित फीस का भुगतान नहीं कर दिया हो। फीस भुगतान रसीद की एक प्रति भी आवेदन के साथ में संलग्न करनी होगी।
- फीस की राशि, मकान के प्रकार और निर्माण क्षेत्र के अनुसार तय की गई दरों से कम नहीं होगी।
- **मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 का लागू होना** – मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास निमय, 2012 के सुसंगत उपबंध, भवन गतिविधियों के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित इन्हें लागू होंगे –
  - ''ग्राम पंचायत क्षेत्र'' जैसा कि म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 61-क के अधीन परिभाषित है।
  - ''निवेश क्षेत्र'' किसी नगरीय स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी भी भाग को छोड़कर, जैसा कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 13 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित है।

भवन अनुज्ञा (अनुमति) अधिकारी

- भवन अनुमति के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए नीचे सारणी में खण्ड (क) के सामने दर्शाए गए प्राधिकृत अधिकारी को राज्य शासन द्वारा भवन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा भवन अनुमति के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए ऊपर सारणी में खण्ड (ख), (ग), (घ), एवं (ड.) के सामने दर्शाए गए अधिकारी को, भवन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

क.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग या सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग को आबंटित भूमि के लिए या निवेश क्षेत्र में उसके द्वारा अधिसूचित भूमि पर भवन अनुज्ञा के लिए	राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई अधिकारी
ख.	अधिनियम की धारा 61-क के अधीन परिभाषित तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) के अधीन अधिसूचित निवेश सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सहायक संचालक से नीचे के पद-श्रेणी का कोई अधिकारी
ग.	नियम 4 के खण्ड (क) तथा (ख) में उल्लेखित से भिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में दो मंजिल तक का भवन	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री से नीचे के पद-श्रेणी का कोई अधिकारी
घ.	नियम 4 के खण्ड (क) में उल्लेखित से भिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहायक उपयंत्री से नीचे के पद-श्रेणी का कोई अधिकारी
ड.	नियम 4 के खण्ड (क) तथा (ख) में उल्लेखित से भिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में दो मंजिल से अधिक मंजिल के भवन के लिए	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहायक उपयंत्री से नीचे के पद-श्रेणी का कोई अधिकारी

4. **बहुमंजिला भवन** – बहुमंजिला भवन की दशा में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14 के अधीन गठित जिला समिति की स्पष्ट सहमति पर ही अनुमति दी जाएगी।
5. **अनुमति की स्वीकृति** -
   - भवन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ग्राम पंचायत या तो योजना तथा विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन) को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगी या उन्हें ऐसे संशोधनों या दिशानिर्देशों के साथ स्वीकृत कर सकेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाए या निर्देश दे सकेगी, कि कार्य उस समय तक आगे न बढ़ाया जाए, जब तक कि भवन तथा सड़क से संबंधित स्थान आदि से संबंधित सभी प्रश्नों का संतोषजनक समाधान के रूप में निर्णय न हो जाए तथा इसके बाद अपने निर्णय से आवेदक को सूचित करेगी।
   - उप – नियम (1) के अधीन कोई आदेश जारी करने के पूर्व, ग्राम पंचायत, आवेदन की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर या तो, -
     - एक ऐसा अन्तरिम आदेश जारी कर सकेगी, जिसमें यह निर्देशित हो कि उस आदेश के जारी किए जाने से एक मास से अधिक अवधि तक काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, या
     - और विशिष्टियां मांग सकेगी।
6. **स्वीकृति की अवधि** – एक बार दी गई स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि की समाप्ति के पूर्व अनुमति, पुनः प्राप्त की जाएगी। ऐसी अनुमति एक-एक वर्ष की लगातार दो अवधि के लिए प्राप्त की जा सकेगी, इसके पश्चात नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
7. **अनुमति का निरस्तीकरण** – ग्राम पंचायत, नियमों के उपबंधों के अधीन जारी कोई भी अनुमति को निरस्त कर सकेगी, यदि यह पाया जाए कि आवेदन में कोई असत्य विवरण या किसी सारवान तथ्य की गलत प्रस्तुति के आधार पर अनुमति दी गई थी।
8. **निरीक्षण** - ग्राम पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या भवन अधिकारी किसी भी समय, किसी भी भवन के निर्माण का निरीक्षण कर सकेगा तथा आवेदक द्वारा लिखित में भवन निर्माण पूर्ण होने की सूचना देने के पश्चात एक माह के बाद, किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा कोई भी विषय विनिर्दिष्ट नहीं कर सकेगा, जिसके संबंध में ऐसे भवन का निर्माण अधिनियम या तत्समय किसी विधि के अधीन निर्मित किसी नियम के उपबंधों के उल्लंघन में हो सकेगा, तो आवेदक से वह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी भी ऐसी बात को, जो किसी ऐसे नियम के प्रतिकूल है, परिवर्तित करा या ऐसा कार्य निष्पादित करे जो उसके द्वारा ऐसे नियम के अनुसार निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।
9. **अधिभोग या उपयोग करने का पूर्णता प्रमाण पत्र** -
   - आवेदक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के एक माह के भीतर इसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत को देगा।
   - कोई व्यक्ति, किसी भवन या उसके भाग का न तो उपयोग करेगा या उपयोग किए जाने की अनुमति देगा, जब तक कि ग्राम पंचायत द्वारा इसकी अनुमति न दे दी गई हो। परन्तु निर्माण कार्य पूरा होने की सूचना प्राप्ति के पश्चात 30 दिन की अवधि के भीतर ऐसी अनुमति देने से इन्कार करने संबंधी सूचना देने में असफल रहती है, तो यह समझा जाएगा की अनुमति दे दी गई है।
10. **मद जिनके लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है** – निम्नलिखित कार्यों के लिए भवन अनुमति की आवश्यकता नहीं है –
    - किसी भवन में किए जाने वाले ऐसे परिवर्तनों के लिए जो इन नियमों की सामान्य भवन अपेक्षाओं, संरचनात्मक स्थायित्व और आग से सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं का अन्यथा उल्लंघन नहीं करते हैं –
      - किसी खिड़की या दरवाजे या रोशनदान का खोलना तथा बन्द करना।
      - अन्तः संचरण द्वारों की व्यवस्था
      - पार्टीशन लगाना
      - फाल्स सीलिंग लगाना
      - बागवानी
      - पुताई
      - चित्रकारी
      - पुनः खपरैल छाना तथा छत की मरम्मत
      - पलस्तर करना तथा जुड़ाई का काम
      - पुनः फर्श का काम कराना
      - अपनी स्वयं की भूमि पर शेड का निर्माण
      - भूकम्प या अन्य किसी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा क्षतिग्रस्त भवनों के भागों का उसी सीमा तक और उन्हीं मापदण्ड के अनुसार पुनर्निर्माण करना, जो ऐसी क्षति से पहले मौजूद थी।

(पेज 3 का शेष)

- केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा कोई कार्य, जो –
  - किसी राजमार्ग, सड़क या सार्वजनिक मार्ग के रख-रखाव या सुधार के लिए आवश्यक हो और जो ऐसे राजमार्ग, सड़क या सार्वजनिक मार्ग की सीमाओं के भीतर भूमि पर किया जा रहा हो।
  - ऐसी किसी नाली, मल नाली, मुख्य नाली, पाईप, केबल, टेलीफोन या अन्य उपकरण के निरीक्षण, मरम्मत या नवीनीकरण के प्रयोजन के लिए, जिसमें उस प्रयोजन के लिए किसी सड़क या अन्य भूमि को खोदना सम्मिलित है। परन्तु ऐसा कोई कार्य जिसमें किसी सड़क का खोदा जाना आवश्यक हो, ग्राम पंचायत को पूर्व सूचना दिए बिना नहीं किया जाएगा। ऐसी भूमि को पूर्व की अवस्था में लाने के लिए व्यय का संदाय ग्राम पंचायत को किया जाएगा।
- कृषि सुधार के लिए कृषि भूमि पर, सामान्य अनुक्रम में किया गया कोई निर्माण, किन्तु इसमें पक्का भवन सम्मिलित नहीं होगा।
- कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग का निर्माण।

11. **कतिपय स्थानों पर अनुमति नहीं दिया जाना – निम्नलिखित स्थानों पर घर निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी –**
  - ऐसे स्थान जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो
  - ऐसे स्थान जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो, तथा ऐसे स्थान जो बाढ़ आदि से प्रभावित हो

12. **अस्वीकृति की कोई सूचना न दिए जाने पर अनुमति का माना जाना** – यदि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से राज्य सरकार द्वारा तय अवधि के भीतर, ऐसी अनुमति प्रदान करने से इन्कार की सूचना न दी जाए, तो यह माना जाएगा कि ग्राम पंचायत की अनुमति प्राप्त हो गई है और प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य शुरू कर सकेगा। बशर्ते की वह निर्माण अधिनियम तथा नियम के उपबंधों से असंगत न हो।

13. **नियम के विरूद्ध किए गए निर्माण कार्य को रोका जाना –** बिना अनुमति या इन नियमों के किसी उपबंध या अनुमोदित योजना तथा शर्तों के उल्लंघन में किए गए किसी निर्माण को ग्राम पंचायत रोक लगा सकेगी और नियम विरूद्ध या नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण को उचित अवधि के भीतर संशोधित या नष्ट करने की लिखित सूचना देगी।

14. **नियम विरूद्ध किए गए निर्माण पर कार्रवाई करने की शक्ति** – यदि ग्राम पंचायत द्वारा सूचना पर दी गई समय-सीमा में अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ग्राम पंचायत उपयुक्त कार्रवाई कर सकेगी तथा

इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा किया गया व्यय संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाएगा।

15. **झोपड़ियों का विनियमन –**
  - कोई भी व्यक्ति, ग्राम पंचायत को ऐसा करने की पूर्व सूचना दिए बिना, किसी झोपड़ी या शेड या झोपड़ियों या शेडों के खण्ड या समूह का निर्माण नहीं करेगा या इन नियमों के लागू होने के पहले से मौजूद झोपड़ियों या शेडों के किसी खण्ड या समूह में कोई नई झोपड़ी या शेड नहीं जोड़ेगा।
  - ग्राम पंचायत ऐसी झोपड़ियों या शेडों को इस प्रकार निर्मित किए जाने की अपेक्षा कर सकेगी, जिससे की वे ऐसी चौड़ाई वाले दो पंक्तियों के बीच खाली पथ या मार्ग के साथ नियमित लाइनों में स्थित हों, जैसा ग्राम पंचायत हवा के आवागमन और सफाई व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उचित समझे और वे ऐसे तल पर हों, जहां से पर्याप्त जल निकास हो सके और ऐसी झोपड़ियों में ऐसी संख्या में शौचालय और जल निकास के ऐसे साधनों की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
  - यदि किसी झोपड़ी या शेड या उसके खण्ड या झोपड़ियों या शेडों के समूह का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा यथा अपेक्षित सम्यक सूचना दिए बिना या ग्राम पंचायत द्वारा यथा अपेक्षित से अन्यथा किया जाए तो ग्राम पंचायत उसके स्वामी या निर्माणकर्ता, को या ऐसी भूमि के, जिस पर उसका निर्माण किया गया है या किया जा रहा है, स्वामी या उपयोगकर्ता को लिखित सूचना देकर उससे यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे उचित समय के भीतर, जैसा कि सूचना में निर्देशित किया जाए, उसे तोड़ दे और हटा दे या उसमें ऐसा परिवर्तन या वहां ऐसा बदलाव करे जैसा कि ग्राम पंचायत स्वच्छता संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

16. **झोपड़ियों का सुधार –**
  - जब किसी ग्राम पंचायत की यह राय हो, कि कोई झोपड़ी या शेड, चाहे उसका उपयोग निवास के रूप में किया जाता हो या अस्तबल के रूप में या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए और चाहे वह इन नियमों के लागू होने के समय मौजूद हो या उसका निर्माण बाद में किया गया हो –
  - पर्याप्त हवा के आवागमन या उस रीति के कारण जिसमें ऐसी झोपड़ियां या शेड बहुत सघन बसे हुए हों, या
  - कुर्सी या पर्याप्त जल निकास की इच्छा से, या
  - सफाई की असाध्यता के कारण ऐसी झोपड़ियों में या उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को रोग के खतरे के कारण, वह ऐसी प्रत्येक झोपड़ी या शेड के किसी सहज दिखायी देने वाले भाग पर एक सूचना चिपकवाएगी, जिसमें उसके स्वामी या उपयोगकर्ता से ऐसी भूमि के स्वामी को जिस पर ऐसी झोपड़ी या शेड निर्मित है, यह अपेक्षा की जाएगी, कि वह ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो ग्राम पंचायत द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियत किया जाए, ऐसी झोपड़ी या शेड को तोड़ दे और हटा ले या उसके सुधार के लिए ऐसी कार्रवाई पूरी करे जैसा कि ग्राम पंचायत ऐसे जोखिम के बचाव के लिए आवश्यक समझे।
  - यदि कोई ऐसा स्वामी या उपयोगकर्ता ऐसी झोपड़ियों या शेडों को तोड़ने और हटाने से या ग्राम पंचायत द्वारा या तय समय के भीतर ऐसी कार्रवाई पूरी करने से इन्कार करता है, तो वह ऐसी झोपड़ियों या शेडों को तुड़वा सकेगी या ऐसी झोपड़ियों या शेडों के संबंध में ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जैसी की ऐसे जोखिम के निवारण के लिए वह आवश्यक समझे।

17. **दण्ड** – अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (3-क) के अधीन कार्रवाईयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई भी इन नियमों में से किसी भी नियम को भंग करेगा वह ग्राम पंचायत या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अभियोजित किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर वह 6 माह के साधारण कारावास से या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा और यदि भंग निरंतर भंग हो तो ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात भंग जारी रहता है, दो सौ पचास रूपए हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

18. **निरसन तथा व्यावृत्ति** – इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी उपविधियां इन नियमों द्वारा सम्मिलित विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसत की जा सकती है :

परन्तु इस प्रकार निरसित उपविधियों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची – एक

(नियम 3 का उप-नियम (4))

अनुक्रमांक	निर्माण का प्रकार	निर्मित क्षेत्र,		फीस (रूपए)
		वर्ग मीटर से	वर्ग मीटर तक	
1	कोई भवन जो अनन्य रूपेण निवास के लिए आशयित हो	0	75	200
		76	125	350
		126	200	600
		201	300	900
		301	400	1200
		401	600	2000
		601	750	2500
		751	1000	3500
		1001	1250	5000
		1251	1500	7000
		1501	2000	10000
		2001	2500	15000
		2500 से अधिक		25000
2	कोई भवन, जो दुकान, भण्डार घर, कारखाना या व्यापार या कारोबार चलाने अथवा किसी अन्य व्यवसायिक या औद्योगिक हेतु बनाना प्रस्तावित है	2500 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र के लिए अनुक्रमांक 1 में दी गई फीस की रकम में 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के साथ। लेकिन 2500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र के लिए प्रभार फीस रूपए 40, 000होगी।		
3	कोई भवन, जो किसी कारखाने में प्रशासनिक खंड के रूप में उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित है	अनुक्रमांक 1 में दिए गए विवरण अनुसार।		
4	कोई भवन, जो दुकान सह निवास के लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित है	अनुक्रमांक 1 में दी गई फीस रकम के 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के साथ ।		
5	कोई भवन, जो सिनेमा थियेटर के रूप में उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित है	800 की बैठक क्षमता तक के लिए रूपए 15,000 एवं 800 से अधिक बैठक क्षमता के लिए रूपए 25,000।		
6	कोई भवन, जो किसी सामाजिक, धमार्थ सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रयोजनों, धर्मशाला तथा सदृश भवनों तथा किसी अन्य प्रयोजन जिनके लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध न हो, के लिए प्रस्तावित हो	अनुक्रमांक 4 में दी गई फीस का 50 प्रतिशत		
7	मौजूदा निर्मित क्षेत्र में बदलाव या परिवर्तन या बाहय बदलाव या ऐसा बदलाव जिससे निर्मित क्षेत्र में वृद्धि न होती हो, जैसे आंगन, चारदीवारी, उंचाई या क्षत निर्माण में परिवर्तन, उदाहरण समतल सतह की ए.सी. शीट में टाईल लगाना, अतिरिक्त मार्ग खोलना या बंद करना	अनुक्रमांक 1, 3 और 6 में वर्णित भवन के प्रत्येक मामले में रूपए 50/- अनुक्रमांक 2, 4 और 5 में वर्णित भवन के प्रत्येक मामले में रूपए 200/-		
8	प्रस्तावित प्लान में जोड़ने या परिवर्तन के मामले में	5 प्रतिशत तक कोई फीस नहीं 5 से 10 प्रतिशत तक के लिए रूपए 50/- 10 प्रतिशत से अधिक के लिए नियमों के अनुसार नया आवेदन आवश्यक होगा।		
9	भवन अनुज्ञा का पुन: विधिमान्य करण	संबंधित भवन के संबंध में मूलत: प्रभारित फीस की रकम का 10 प्रतिशत		

बहुमंजिला भवन हेतु अनुमति के लिए

अनुक्रमांक	निर्माण का प्रकार	फीस (रूपए में)
1	कोई भवन, जो निवास के उपयोग के लिए प्रस्तावित है	रूपए 10/- प्रति वर्ग मीटर तल क्षेत्र।
2	कोई भवन, जो दुकान, भण्डार, घर, कारखाना या व्यापार या कारोबार चलाने अथवा किसी अन्य व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित है	अनुक्रमांक 1 में दी गई फीस रकम के 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के साथ।
3	कोई भवन, जो किसी कारखाने में प्रशासनिक खंड के रूप में उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित है	अनुक्रमांक 1 में दी गई फीस के अनुसार।
4	कोई भवन, जो दुकान सह निवास के उपयोग के लिए प्रस्तावित है	अनुक्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट फीस, तथा फीस की ऐसी रकम का 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के साथ।
5	कोई भवन, जो किसी सामाजिक, धमार्थ सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रयोजनों, जिसमें चिकित्सालय, विद्यालय क्लब, धर्मशाला तथा इसी प्रकार के भवन सम्मिलित हैं के लिए तथा किसी अन्य उपयोग के लिए जिसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध न हो, उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित है	अनुक्रमांक 1 में दी गई फीस का 50 प्रतिशत।

छूट : ऐसा आवेदक, जिसका नाम, उस ग्राम पंचायत की गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की सर्वेक्षण सूची में हो, उसे प्रथम निवास इकाई के लिए भवन निर्माण अनुमति शुल्क भुगतान से छूट रहेगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

विनोद चौधरी द्वारा

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है –

1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) के अनुसार 23.0 प्रतिशत महिलाएं बॉडी मास् इन्डेक्स से कम स्तर पर हैं।
2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) के अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है।
3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी रिपोर्ट ''भारत में महिला एवं पुरूष वर्ष 2020'' अंतर्गत प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में श्रम बल सहभगिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदार हैं वहीं मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरूषों के विरूद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करती है।

उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ''मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना'' लागू किये जाने की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेंगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार पैसे खर्च करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होंगी। महिलाएं प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/ आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।

योजना के लाभ हेतु पात्रता

1. महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
2. विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
3. आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

योजना अंतर्गत अपात्रता

योजना के अंतर्गत ऐसी महिलायें अपात्र होंगी –

1. जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।
3. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाई कर्मी / संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। परन्तु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
4. जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपए 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो।
5. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
6. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम का अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य हो।
7. जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो।
8. जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। यहां पर परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है।
9. जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हो।

योजना अंतर्गत सहायता

1. प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा।
2. किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपए 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपए 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया

1. योजना हेतु आवेदन पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है –
2. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ''आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र'' भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय/ आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध रहेंगे।
3. उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड / ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियम कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिन्टेड पावती उपलब्ध करायी जाएगी। यह पावती एसमएमएस/ व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। इस प्रक्रिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।
4. आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
5. आवेदक महिला का स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो लिया जा सके एवं ईकेवायसी किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा –
   - परिवार की समग्र आई डी
   - स्वयं की समग्र आई डी
   - स्वयं का आधार कार्ड

अस्थायी सूची का प्रकाशन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अस्थायी सूची, पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिन्ट आउट ग्राम पंचायत/ वार्ड स्तर के सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा।

आपत्तियां प्राप्त करना

प्रदर्शित अस्थायी सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियां पोर्टल/ ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पइलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियां पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज की जायेंगी। जो आपत्तियां लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त होंगी उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

आपत्ति निराकरण समिति

प्रदर्शित अस्थायी सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा –

(क) ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

(ख) नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

(ग) नगर निगम क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

आपत्तियों की जांच एव अंतिम सूची जारी किया जाना

(क) आवेदन पर आपत्ति की जांच एवं निराकरण 15 दिवस में समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेंगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का रेंडम चयन राज्य स्तर पर किया जाकर उनकी पात्रता संबंधी विशेष जांच की जा सकेगी।

(ख) समस्त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर मुख्य कार्यपाल अधिकारी, जनपद पंचायत/ सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी। सूची का प्रिन्ट आउट ग्राम पंचायत/ वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जायेगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी।

पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना

अंतिम सूची में पात्र हितग्राहियों को ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभांवित होने संबंधी ''स्वीकृति पत्र'' जारी किया जायेगा।

हितग्राहियों को राशि का भुगतान

पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में ऑनलाइन किया जायेगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक बैंक खाता होना चाहिये। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टी के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जायेगा तथा उससे अपेक्षा होगी की आवेदिका स्वयं का बैंक खाता खुलवा ले। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

नियमित परीक्षण एवं सत्यापन

भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा संबंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा।

योजना के अपेक्षित परिणाम

1. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के फलस्वरूप वे प्राप्त राशि से स्वयं के पोषण पर विशेष ध्यान दे पायेंगी, जिससे महिलाएं बॉडी मास इन्डेक्स के मानक स्तर पर आ सकेंगी साथ ही महिलाओं में एनीमिया के स्तर में भी सुधार होगा।
2. महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत होने से उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा।
3. महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि होगी एवं परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका मजबूत होगी।
4. महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होंगी एवं स्वरोजगार/ आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी।

पंचायत और विकास समाचार

अधोसंरचनाओं की गुणवत्ता बनी पंचायत की पहचान

डॉ. संजय कुमार राजपूत, संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान- आधारताल, जबलपुर, म.प्र. द्वारा

मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चीचली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शाहपुर अपने अच्छे अधोसंरचनात्मक कार्यों की वजह से दूसरी पंचायतों के लिए उदाहरण बनकर सामने आई है। इस ग्राम पंचायत में शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत तैयार किये गये आवास, तालाब, खेल मैदान, शक्कर नदी पर 10 हजार बोरियों से बनाया गया बोरी बंधान, शांति धाम, पक्की साफ- सुथरी सड़कें, उत्तम गुणवत्ता से नवनिर्मित पंचायत भवन आदि देखने लायक हैं।

सर्व सुविधायुक्त ग्राम पंचायत भवन

मनरेगा और जिला पंचायत की निधि से 14 लाख 85 हजार रूपये की लागत से नवनिर्मित पंचायत भवन बहुत अच्छी गुणवत्ता का है। इसमें सभी जरूरी सुविधायें उपलब्ध हैं। भवन की फर्श मार्बल से बनायी गई है। पंचायत भवन के कम्प्यूटर ई. कक्ष में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक

के बैठने के लिए अलग-अलग कक्ष के साथ एक हाल भी पंचायत भवन में तैयार कराया गया है। हाल का उपयोग ग्राम पंचायत में होने वाली अलग-अलग बैठकों के आयोजन के लिए किया जाता है। यहां एक अतिथि कक्ष भी बनाया गया है। इसमें बैठने एवं विश्राम की सुविधा है। सभी कक्षों के बाहर नेम प्लेट भी लगाई गई हैं। पंचायत कार्यालय में नोटिस बोर्ड लगाया गया है, जिस पर सूचनाओं को चस्पा किया जाता है।

पंचायत भवन परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर उसे सुंदर स्वरूप दिया गया है। ग्राम पंचायत भवन में प्रसाधन की अच्छी सुविधा है। पंचायत भवन की दीवार पर महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर भी लिखे गये हैं। पंचायत भवन की दीवारों पर सुंदर पेंटिंग की गई है। पंचायत भवन का शुभारंभ 14 नवम्बर 2017 को हो गया है। ग्राम पंचायत शाहपुर के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक पंचायत के कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

इस ग्राम पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। पंचायत में 40 हितग्राहियों के लिए गुणवत्तायुक्त प्रधानमंत्री आवास तैयार हो चुके हैं और इनमें हितग्राहियों का गृह प्रवेश हो चुका है।

जल संरक्षण हेतु बोरी बंधान

ग्राम पंचायत शाहपुर द्वारा भविष्य में जल की आवश्यकता को देखते हुए 10 हजार बोरियों से शक्कर नदी के पुल के पास बोरी बंधान बनाया गया है। इस बोरी बंधान से बड़ी मात्रा में पानी जमा हो रहा है। इससे अब लोगों को अपने निस्तार, नहाने, कपड़े धोने आदि के लिए और मवेशियों को पानी पिलाने एवं गांवों की अन्य जरूरतों के लिए भरपूर पानी उपलब्ध है।

ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये बोरी बंधान से दूर तक पानी रूका है। गर्मी के दिनों में पानी की तलाश में इस पंचायत से लगे वनक्षेत्र के वन्यप्राणी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए बोरी बंधान तक पहुंचते हैं। हैं।

शांतिधाम

गांव में बनाये गये शांतिधाम में पर्याप्त छाया के लिए बड़ी संख्या में पेड़ लगाये गये हैं। यहां समीप में पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चीचली की ग्राम पंचायत शाहपुर में किये जा रहे अधोसरंचनात्मक कार्यों से ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं व लाभ मिल रहा है। प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों को भी इस पंचायत से सीख लेकर अपने यहां कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना चाहिए।

ग्राम कचहरी – एक महिला सरपंच की पहल

विनोद चौधरी द्वारा

डॉ. संजय कुमार राजपूत, संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान- आधारताल, जबलपुर, म.प्र. द्वारा

बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले की पतिलार ग्राम पंचायत के छोटे-मोटे विवाद कोर्ट-कचहरी तक नहीं जाते। ये सीधे ग्राम कचहरी तक पहुंचते हैं। वहां आपसी समझौते से विवाद सुलझा लिए जाते हैं। जिससे समय के साथ पैसे की भी बचत होती है।

कैसे हुई ग्राम कचहरी की शुरूआत

डेढ़ वर्ष पहले लालमती देवी करीब 20 हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत पतिलार की सरपंच बनीं। उन्होंने देखा कि भूमि विवाद, बंटवारा और घरेलू विवाद जैसे मामलों के लिए ग्रामीण थाने से लेकर कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। इससे लोगों के बीच कटुता बढ़ती है और समय के साथ-साथ पैसे भी खर्च होते हैं। इसके बावजूद लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्होंने ग्राम कचहरी में ही ऐसे मामलों को सुलझाने की पहल की। इसके लिए 11 सदस्यों की एक टीम बनाई गई। झगड़े सुलझाने के लिए हर रविवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बैठक रखी जाती है। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल होते हैं। आपसी विमर्श के बाद 11 सदस्यों की टीम फैसला सुनाती है। जिस पर दोनों पक्षों की सहमति ली जाती है।

66 बैठकों में 309 मामलों का निपटारा

एक जनवरी 2022 से शुरू की गई ग्राम कचहरी की अब तक 66 बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच 330 मामले ग्राम कचहरी में आए जिनमें से 309 निपटाये जा चुके हैं।

21 मामले लम्बित हैं इनका भी शीघ्र निपटारा हो जाएगा। ग्राम पंचायत के डेढ़ दर्जन मामले जो कोर्ट में थे, उनका भी समाधान दोनों पक्षों को समझाकर कराया जा चुका है। दोनों पक्ष में समझौता हो सके इसके लिए गांव के 82 वर्षीय बैरिस्टर मिश्र के अलावा न्याय मित्र कुमार अतुल रंजन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे पत्रावली तैयार कराने के साथ-साथ जरूरी कानूनी सलाह देते हैं।

थाने में नहीं मिला समाधान, गांव में निकली राह

मामला दो भाइयों के बीच जमीन बंटवारे के विवाद का था। रेखालाल साह और जटाई साह दो सगे भाईयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। जिसको लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा हो चुका था। दोनों अपना मामला ग्राम कचहरी में लेकर पहुंचे। यहां दोनों को न्याय मिला और दोनों ग्राम कचहरी के फैसले से खुश हैं। ग्रामीण श्रीनारायण शुक्ल का कहना है कि छोटे-छोटे विवादों के लिए अब हमें थाने नहीं जाना पड़ता। कृष्णा यादव बताते हैं कि किसानों को शिकायत रहती थी कि रात में अराजक तत्व फसलों को काट ले जाते हैं। इस संबंध में कई मामले थाने पहुंचे लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। यह मामला जब ग्राम कचहरी में आया तो पंचों ने एक टीम बनाई जो रात में फसलों की रखवाली करती है। अब फसल चोरी की घटनाएं बन्द हो गई हैं।

महिला सरपंच लालमती देवी द्वारा की गई इस पहल की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जो सही मायने में पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्यों को साकार कर रही हैं। ग्राम पंचायतों का काम केवल अधोसरंचनाओं का निर्माण कराना मात्र नहीं है, ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना भी पंचायत की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। आशा है कि न सिर्फ बिहार बल्कि अन्य प्रदेशों की ग्राम पंचायतों के सरपंच भी लालमती देवी की पहल से प्रेरणा लेकर अपने यहां ग्राम कचहरी की शुरूआत करेंगे।

स्रोत : पत्रिका दैनिक समाचार पत्र, दिनांक 23 अप्रेल 2023

जैविक खेती – लागत कम, लाभ अधिक

विकास भन्नारे द्वारा

यह कहानी बसौड़ा गांव निवासी कृषक रामाशंकर शाह पिता श्री विश्वनाथ प्रसाद शाह की है। बसौड़ा गांव सिंगरौली जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा में 35 किमी दूर बैढ़न विकासखंड में स्थित है। रामाशंकर के पास कुल 5 एकड़ जमीन है, जिसमें से लगभग 3.5 एकड़ जमीन ही सिंचित है। कोई अन्य व्यवसाय न होने के कारण परिवार के सभी सदस्य खेती में सहयोग करते हैं।

रामाशंकर शाह खेती में नये-नये प्रयोगों को अपनाने में हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें सही माध्यम नहीं मिल पा रहा था। वर्ष 2018 से आकांक्षी जिला परियोजना अंतर्गत ग्राम बसौड़ा को फार्म फील्ड स्कूल के लिए चयनित किया गया। आईटीसी और उसकी सहयोगी संस्था सीपा के द्वारा मिशन सुनहराकल कार्यक्रम के अंतर्गत समय-समय पर बैठक और प्रशिक्षणों के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को बुवाई पूर्व खेतों की तैयारी, उन्नत बीज का चयन, बीज का अंकुरण परीक्षण, बीजोपचार, बीज दर, उर्वरक का संतुलित प्रयोग, रोग एवं कीट नियंत्रण, सिंचाई की संख्या एवं समय, फसलों की कटाई-गहाई से लेकर भंडारण के विषय पर जानकारी दी जाने लगी।

इतना ही नहीं खेती से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनायें, उनसे मिलने वाले लाभ, लाभ हेतु पात्रता, आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज, आवेदन

कैसे और कहां करना होगा, ये सब जानकारियां किसानों को मिलने लगी। जिन योजनाओं के लाभ हेतु ऑनलाइन पंजीयन कराना जरूरी है, कृषि विशेषज्ञों की टीम के सहयोग से हितग्राहियों के ऑनलाइन पंजीयन कराए गए। इसके अलावा पायलट गतिविधि जैसे- मत्स्य पालन, नेचुरल फार्मिंग एवं दो गड्ढे वाले शौचालयों का निर्माण एवं इससे निर्मित होने वाली सुनहरी खाद का खेती में उपयोग आदि विषयों पर भी, विषय विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।

बसौड़ा गांव के किसान वर्ष 2018 से पहले पारंपरिक तरीके से खरीफ सीजन में धान, अरहर एवं मक्का तथा रबी सीजन में गेहूं, चना एवं सरसों की खेती कर रहे थे। बुवाई के लिए परम्परागत बीजों का उपयोग किया जाता था। जिसके कारण अच्छी पैदावार नहीं मिलती थी। किसान उन्नत तकनीक के इस्तेमाल और इससे होने वाले लाभ पर भरोसा कर सकें इसके लिए उन्नत और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गांवों में प्रदर्शन प्लॉट डाले गए। इन प्रदर्शन प्लॉटों का किसानों को भ्रमण भी कराया गया। प्रदर्शन प्लॉट के परिणामों को देखने के बाद किसान प्रभावित हुए और गांव के कई किसान इन तकनीकों को अपनाने के लिए आगे आये।

जो किसान उन्नत तकनीक को अपनाने के लिए आगे आए उनमें रामाशंकर शाह भी एक थे। मिशन सुनहरा कल से जुड़कर रामाशंकर शाह ने स्प्रे पम्प, स्प्रिंकलर सैट, ग्रीन लो टनल आदि योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। विगत वर्ष उन्हें उद्यानिकी विभाग की सब्जी विस्तार योजना अंतर्गत टमाटर एवं मिर्च के बीज मुफ्त प्राप्त हुए।

आईटीसी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सिंगरौली में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग

विषय पर आयोजित कराए गए प्रशिक्षण में मिली जानकारियों से प्रभावित होकर रामाशंकर शाह ने अपने यहां जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। जिससे सब्जी उत्पादन की लागत को कम करने में मदद मिली। इसके अलावा सब्जियों की हाइब्रिड प्रजाति के बीज इस्तेमाल करने से पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में रामाशंकर शाह आधा-आधा एकड़ में सीजन अनुसार करेला, भिन्डी, प्याज, टमाटर, गोभी आदि सब्जियों की खेती कर रहे हैं। वर्तमान समय में पूर्णता जैविक खेती की विधि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाया जा रहा है।

मिशन सुनहरा कल के साथ जुड़ने से पहले रामाशंकर शाह धान की प्रति एकड़ 17 से 18 क्विंटल और गेहूं की प्रति एकड़ 8 से 9 कुंटल उपज ले रहे थे। लेकिन प्रशिक्षण से मिली जानकारियों को अपनाने से अब धान की उपज 27 से 28 क्विंटल और गेहूं की उपज 13 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ मिलने लगी है। इन दोनों फसलों से पहले की तुलना में लगभग 30000रूपए की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। सब्जियों से भी सालाना लगभग 2 लाख रूपए की आमदनी हो जाती है। सब्जी उत्पादन में पहले इसमें 50-60 हजार की लागत आती थी, जैविक पद्धति के इस्तेमाल से 25-30 हजार की लागत आती है। खेती में आमदनी बढ़ने से रामाशंकर शाह का परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया है।

महिलाओं की पहल

गांव विकास के लिए समर्पित – ध्याना दीदी

शीतल मानकर द्वारा

मेरा नाम ध्याना मंडलोई है। मैं एकल महिला हूं और अपने पिताजी के साथ धार जिले के मनावर विकासखंड में आने वाले लाखनकोट गांव में रहती हूं। लाखनकोट गांव से एक नाला निकलता है जो गांव को दो फलियों में बांटता है। दोनों फलियों को जोड़ने वाले मुख्य रास्तें में नाले पर कोई पुलिया न होने के कारण बरसात के दिनों में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तेज बारिश के दौरान नाले में पानी अधिक होने के कारण विशेषकर बुजर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। ग्रामसभा की हर बैठकों में पुलिया निर्माण की बात की जाती रही लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा पुलिया निर्माण नहीं कराया गया।

वर्ष 2018 में टीआरआईएफ और उसकी सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा संचालित मिशन अंत्योदय परियोजना में ग्राम संगठन की दीदियों की सहमति से मुझे पंचायत की बदलाव दीदी चुना

कौन हैबदलाव दीदी

ट्रांस्फानर्मिंग रूरल इंडिया और उसकी सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा प्रदेश के चुनिंदा विकासखंड में एक परियोजना के तहत स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाने और इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाने के लिए चलायी गई यह मुहिम परियोजना की समयावधि के बाद भी चलती रहे इसके लिए हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन की दीदियों में से एक-एक सक्रिय दीदी की पहचान कर, उन्हें पंचायत बदलाव दीदी बनाया गया है। जो परियोजना के कामों को आगे ले जाने का काम करेंगी। इन बदलाव दीदियों की संस्थाा द्वारा प्रशिक्षण और बैठकों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था पर क्षमतावृद्धि भी की गई है। ये बदलाव दीदियां ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कामकाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जागरूक करने और वंचितों को उनके हक एवं अधिकार दिलाने में सराहनीय काम कर रही हैं।

गया। परियोजना के तहत आयोजित प्रशिक्षणों के माध्यम से मैंने पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में जानकारी हासिल की। प्रशिक्षण से मिली जानकारी के आधार पर मैंने स्व-सहायता समूह और ग्राम संगठन की दीदियों के साथ मिलकर लगातार 4 ग्राम सभा बैठकों में नाले पर पुलिया निर्माण का मुद्दा रखा। इतना ही नहीं लिखित में आवेदन भी प्रस्तुत किया। लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला।

जब वर्ष 2020-21 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाने का काम चल रहा था, तो सभी दीदियों ने बैठक कर तय किया कि इस बार कुछ भी हो जाए, पुलिया निर्माण का मुद्दा ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल कराकर रहेंगे। सभी दीदियां एकजुट होकर ग्राम पंचायत पहुंची और पुलिया निर्माण के काम को जीपीडीपी में शामिल करने के लिये दबाव बनाया। महिलाओं की बड़ी संख्या और दबाव के चलते ग्राम पंचायत को हमारी बात माननी पड़ी और पुलिया निर्माण को जीपीडीपी में शामिल कर लिया गया। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में होने वाले किसी भी काम का जीपीडीपी में शामिल होना आवश्यक है। मई 2021 में स्वीकृति मिलने के बाद पुलिया निर्माण का काम शुरू हुआ और पूरा भी हो गया। पुलिया निर्माण गुणवत्ता पूर्ण हो इसके लिए महिलाओं द्वारा लगातार कार्य की निगरानी रखी गई।

इतना ही नहीं ध्याना दीदी ने प्रस्ताव देकर गांव के मिडिल स्कूल में बाउन्ड्री वॉल का निर्माण और सुदूर सड़क निर्माण का काम पूरा कराया। दीदी के सहयोग से 52 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 24 हितग्राहियों को राशन पर्ची, 42 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और 12 हितग्राहियों को उज्जवला योजना का लाभ मिला। इसके साथ ही शिक्षा जागरूकता के लिये रैली निकालना, कोरोना काल में मोहल्ला कक्षा का आयोजन करवाना और सभी पालकों को अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करने का काम भी किया।

काली दीदी के प्रयास से फलिये की समस्याओं के समाधान

शीतल मानकर द्वारा

जुलवानिया, धार जिले के मनावर विकासखंड की ग्राम पंचायत लुन्हेरा सड़क का एक फलिया है। जुलवानिया फलिये की दूरी लुन्हेरा सड़क से अधिक होने के कारण, इस फलिये की कोई भी महिला ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठकों में नहीं जाती थीं। लेकिन जब काली दीदी को पंचायत की बदलाव दीदी चुना गया और उन्हें पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी मिली तो उन्होंने ग्राम सभा और पंचायत के महत्व को अच्छे से जाना। प्रशिक्षणों के माध्यम से उन्हें मालूम हुआ कि ग्राम सभा और पंचायत में जाने से महिलाओं की कई व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं का समाधान संभव है।काली दीदी को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि जब महिलाएं ग्राम सभा में जायेंगी ही नहीं तो उनकी समस्याओं के समाधान कैसे संभव होंगे। उन्होंने मन बना लिया कि मैं घर-घर जाकर महिलाओं को ग्राम सभा में जाने के लिए प्रेरित करूंगी।

काली दीदी जुलवानिया फलिये में ही रहती हैं। उन्होंने अपने फलिये की सभी महिलाओं को ग्राम सभा में जाने के लिए प्रेरित किया। काली दीदी के लगातार प्रयास और प्रोत्साहन से धीरे-धीरे ग्राम सभा में जुलवानिया फलिये की महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी और वे अपनी जरूरतों और समस्याओं को ग्राम सभा में रखने लगीं। काली दीदी और अन्य महिलाओं की मांग पर जुलवानिया फलिये में सीसी रोड, पशुओं को पानी पिलाने के लिए हौदी निर्माण के काम पंचायत द्वारा कराए गए। इस फलिए में आंगनवाड़ी भवन भी नहीं था। आंगनवाड़ी की सेवाओं के लिए महिलाओं और बच्चों को दूसरे फलिया में जाना पड़ता था। काली दीदी के नेतृत्व में महिलाओं ने ग्राम सभा में आंगनवाड़ी निर्माण की मांग रखी और इस काम को जीपीडीपी में भी शामिल कराया। फलस्वरूप जुलवानिया फलिया में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण संभव हुआ।

17 दिसम्बर 2020 को काली दीदी के नेतृत्व में महिलाओं ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अब तक फलिये के पुरूष भी नहीं कर पाये थे। इस दिन दीदियों ने पहली बार माननीय विधायक डॉ. हीरालाल अलावा के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें लिखित में फलिए की समस्याओं से अवगत कराते हुए उचित निराकरण के लिए आवेदन दिया |

काली दीदी पढ़ी-लिखी नहीं हैं, किन्तु अपने फलिये और गांव की समस्याओं के समाधान और विकास के लिये हमेशा आगे रहती हैं। वह कहती हैं कि 'हमारे फलिए से मुख्य सड़क तक रोड निर्माण, फलिए की सबसे बड़ी समस्या है, उन्हें पूरा विश्वास है कि इस समस्या का समाधान भी पंचायत के माध्यम से शीघ्र हो जायेगा ।''

सर्वश्रेष्ठ बदलाव दीदी पुरस्कार से सम्मानित शामा दीदी

मुकेश मेढ़ा द्वारा

मेरा नाम शामा मकवाना है, मैं झाबुआ जिले के थांदला विकासखंड की ग्राम पंचायत गोरियाखान्दन की रहने वाली हूं। वर्तमान में ट्रिफ एवं उसकी सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा संचालित मिशन अंत्योदय परियोजना में ग्राम पंचायत की "बदलाव दीदी" के रूप में कार्य कर रही हूं। समर्थन द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों के माध्यम से मुझे पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभा, संविधान, नागरिकता, मतदाता,ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में जानकारी हासिल हुई। इसके अलावा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी मुझे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से मिली।

ग्रामसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये मैंने समर्थन संस्था के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली। इस जागरूकता रैली में गांव की महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और वचन दिया कि अब वे हर ग्राम सभा में हाजिर होंगी और अपने मोहल्ले की सामुदायिक समस्याओं और व्यक्तिगत समस्याओं को ग्राम सभा में रखते हुए ग्राम पंचायत से उचित निराकरण की मांग करेंगी। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कई पात्र हितग्राही इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। जब से मुझे योजनाओं की जानकारी मिली है, मैं गांव में घूमकर ऐसे व्यक्तियों/परिवारों का पता लगाती हूं और उन्हें योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती हूं। ग्राम पंचायत में चल रहे कामों की समय-समय पर निगरानी करती हूं और जो कमियां पायी जाती हैं उन्हें दूर करने के लिए पंचायत के पदाधिकारियों को अवगत कराती हूं।

मेरे प्रयासों से अब तक 12 महिलाओं का जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से शासकीय अस्पताल में सुरक्षित प्रसव, 39 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल चुका है। आज की तारीख में मेरे गांव के सभी पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा 11 हितग्राहियों को नाडेप टैंक निर्माण और एक महिला को उसके पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहयोग कर चुकी हूं। कोविड-19 महामारी के टीकाकरण के दौरान जब ग्रामीण भ्रामक जानकारी और अफवाहों के चलते टीका नहीं लगवा रहे थे तो मैंने घर-घर जाकर लोगों को समझाया और उन्हें टीकाकरण के लिए तैयार किया। समर्थन एवं ट्रिफ संस्था द्वारा शामा दीदी को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ 'बदलाव दीदी' के रूप में सम्मानित कियागया।

प्रिय पाठक गण,

पंचम् विकास पत्रिका में प्रकाशित लेखों के संबंध में आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। आप नीचे दिए गए पते पर पत्राचार कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हॉट्सएप मैसेज के माध्यम से भी हमें अवगत करा सकते हैं।

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट
36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016,
मोबाइल नंबर – 9406546728

प्रकाशन समर्थन, भोपाल :
सम्पादक मंडल: विनोद चौधरी, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, नारायण परमार, पंकज गुप्ता,
पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713